भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *71
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 फरवरी, 2025 को दिया जाना है

नागरिकों को किफायती और सुलभ न्याय

***71. श्री अरुण कुमार सागर :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश भर के सभी न्यायालयों में राजभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग के साथ-साथ नागरिकों को किफायती और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाया गया है/उठाए जाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

****

'नागरिकों को किफायती एवं सुलभ न्याय' के संबंध पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *71 के भाग (क) से (ग), जिसका उत्तर तारीख 07-02-2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) और (ख) : सरकार ने नागरिकों को किफायती और सुलभ न्याय की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय सुनिश्चित करने के अवसरों से वंचित न किया जाए, की गई थी । विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों में विधिक सहायता और सलाह; विधिक जागरूकता कार्यक्रम; विधिक सेवाएं/सशक्तिकरण शिविर; विधिक सेवा क्लिनिक; विधिक साक्षरता क्लब; लोक अदालतें और पीड़ित प्रतिकर स्कीम का कार्यान्वयन सम्मिलित है ।

इसके अतिरिक्त, एलएसए अधिनियम, 1987 के तत्वावधान में समान अवसरों के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है । इस प्रयोजन के लिए विधिक सेवा संस्थाएं तालुका न्यायालय स्तर से उच्चतम न्यायालय तक स्थापित की गई हैं । लोक अदालतें तीन प्रकार की अर्थात् राज्य लोक अदालतें, राष्ट्रीय लोक अदालतें और स्थायी लोक अदालतें होती हैं । राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ पूर्व निर्धारित तारीख पर आयोजित की जाती हैं । राज्य लोक अदालतें, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार आयोजित की जाती हैं और स्थायी लोक अदालतें प्रति सप्ताह तय की गई बैठकों की संख्या के अनुसार संचालित की जाती हैं । वर्ष 2024 में राष्ट्रीय लोक अदालतों, राज्य लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों के माध्यम से 10.57 करोड़ मामलों (न्यायालयों में लंबित और मुकदमे-पूर्व चरण के विवाद) का निपटारा किया गया है ।

वर्ष 2021 में, 250 करोड़ रुपये के परिव्यय से पांच वर्षों (2021- 2026) की अवधि के लिए "भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान परिकल्पना" (दिशा) नामक एक व्यापक, अखिल भारतीय स्कीम प्रारंभ की गई थी । दिशा स्कीम का उद्देश्य टेली-लॉ, न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज) और विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम की स्कीम के माध्यम से विधिक सेवाओं का आसान, सुलभ, सस्ता और नागरिक केंद्रित परिदान का उपबंध करना है । 31 जनवरी 2025 तक, 36 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के 785 जिलों की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में टेली-लॉ सेवा उपलब्ध कराई गई है और 1,06,85,242 लाभार्थियों को मुकदमेबाजी पूर्व सलाह दी गई है । न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज), इच्छुक प्रो बोनो अधिवक्ताओं और रजिस्ट्रीकृत लाभार्थियों जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन मुफ्त विधिक सहायता के लिए हकदार हैं, के बीच न्याय बंधु एप्लिकेशन (एंड्रॉइड/आईओएस पर उपलब्ध) के माध्यम से निर्बाध संपर्क को सक्षम बनाता है । 31 जनवरी, 2025 तक, न्याय बंधु कार्यक्रम के अधीन 8783 प्रो बोनो अधिवक्ता रजिस्ट्रीकृत हैं । विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर पर लगभग 1 करोड़ लाभार्थियों को विभिन्न अधिकारों, कर्तव्यों और हकों के बारे में जागरूक तथा संवेदनशील बनाया गया है।

भारत सरकार ने 12.03.2024 को विधिक सहायता प्रतिरक्षा परामर्शी प्रणाली (एलएडीसीएस) नामक एक नई केंद्रीय सेक्टर स्कीम को मंजूरी दी है । एलएडीसीएस स्कीम लाभार्थियों को केवल आपराधिक मामलों के संबंध में विधिक सहायता प्रदान करेगी और लाभार्थी, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 में यथा कथित पात्रता मानदंडों के अनुसार होंगे । एलएडीसीएस स्कीम का स्वीकृत वित्तीय परिव्यय 3 वर्षों (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए 998.43 करोड़ रुपये है । 30 सितंबर 2024 तक, देश भर के 653 जिलों में एलएडीसी कार्यालय क्रियाशील हैं और इसमें

3167 प्रतिरक्षा परामर्शियों सहित 4674 कर्मचारिवृन्द नियोजित हैं । वर्ष 2024-25 (सितंबर, 2024 तक) के दौरान, एलएडीसीएस कार्यालयों ने 2.54 लाख से अधिक आपराधिक मामलों का निपटारा किया है ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (2) के अधीन यह उपबंध है कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस उच्च न्यायालय की कार्यवाही में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा । इसके अतिरिक्त, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 में यह कथित है कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहां उसके साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा ।

राजभाषा नीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए नियुक्त मंत्रिमंडल समिति ने 21.05.1965 को आयोजित अपनी बैठक में यह नियत किया था कि उच्च न्यायालय में अंग्रेजी से भिन्न भाषा के प्रयोग से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति प्राप्त की जाएगी ।

राजस्थान उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी के प्रयोग को संविधान के अनुच्छेद 348(2) के अधीन 1950 में प्राधिकृत किया गया था । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मंत्रिमंडल समिति के तारीख 21.05.1965 के विनिश्चय के पश्चात्, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उत्तर प्रदेश (1969), मध्य प्रदेश (1971) और बिहार (1972) में उच्च न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया था ।

न्यायिक कार्यवाहियों और निर्णयों को आम नागरिक की समझ के लिए अधिक व्यापक बनाने के लिए, कार्यवाही और निर्णयों का अंग्रेजी से अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए विनिर्दिष्ट प्रयास किए गए हैं । उच्चतम न्यायालय, ई-एससीआर निर्णयों का 18 स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने में उच्च न्यायालयों के साथ सहयोग कर रहा है । भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का उपयोग करके उच्चतम न्यायालय के रिपोर्टेबल निर्णयों (ई-एससीआर) के स्थानीय भाषाओं में अनुवाद की मानीटरी के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है । सभी उच्च न्यायालयों में संबंधित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अध्यक्षता में इसी प्रकार की समिति का गठन किया गया है ।

उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए, उच्चतम न्यायालय विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर (सुवास) विकसित किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा प्रशिक्षित एक मशीन सहायता प्राप्त अनुवाद उपकरण है । सुवास को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है । यह उपकरण विशेष रूप से न्यायिक डोमेन के लिए डिज़ाइन किया गया है और वर्तमान में अंग्रेजी भाषा के न्यायिक दस्तावेजों, आदेशों या निर्णयों को दस स्थानीय भाषाओं, हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मराठी, गुजराती, मलयालम, बंगाली, उर्दू और इसके विपर्ययेन, में अनुवाद करने की क्षमता रखता है ।

आज तक, उच्चतम न्यायालय के 36,335 निर्णयों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया है और उच्चतम न्यायालय के 45,859 निर्णयों का अन्य स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है और ई-एससीआर पोर्टल https://judgments.ecourts.gov.in/ pdfsearch/index.php (उपाबंध-क) पर अपलोड किया गया है।

उच्च न्यायालयों के निर्णयों के संबंध में, 27.09.2024 तक 09 उच्च न्यायालयों के 12,629 निर्णयों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया है और 18315 निर्णयों का अन्य स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है तथा संबंधित उच्च न्यायालयों की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है । विधीक्षा के पश्चात् अनुवादित और अपलोड किए गए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों का उच्च न्यायालयवार विवरण (उपाबंध-ख) में दिया गया है।

(ग) : उपरोक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता ।

उपाबंध-क

03.02.2025 तक उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का हिंदी भाषा और अन्य स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करके ई-एससीआर पोर्टल पर अपलोड किया गया।

ई-एससीआर पोर्टल पर उपलब्ध उच्चतम न्यायालय के स्थानीय भाषा के निर्णय		
क्र.सं.	**स्थानीय भाषा**	**निर्णयों की सं.**
1.	असमिया	340
2.	बंगाली	2789
3.	गारो	7
4.	गुजराती	3318
5.	हिंदी	36335
6.	कन्नड	1942
7.	कश्मीरी	1
8.	खासी	4
9.	कोंकणी	16
10.	मलयालम	2993
11.	मराठी	2594
12.	नेपाली	153
13.	ओडिया	353
14.	पंजाबी	24970
15.	संथाली	40
16.	तमिल	2770
17.	तेलुगु	1655
18.	उर्दू	1914

स्रोत:- ई-एससीआर पोर्टल (https://judgments.ecourts.gov.in/pdfsearch/index.php)

उपाबंध-ख

27.09.2024 तक उच्च न्यायालयों द्वारा अनुवादित और अपलोड किए गए उच्च न्यायालय के निर्णयों का विवरण

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	स्थानीय भाषा	उच्च न्यायालय निर्णय
1.	इलाहाबाद	हिंदी	8338
2.	आन्ध्र प्रदेश	तेलुगु	811
3.	बंबई	मराठी	1161
4.	कलकत्ता	बंगाली	324
5.	छत्तीसगढ़	हिंदी	791
6.	दिल्ली	हिंदी	469
7.	गुवाहाटी	असमिया	65
8.	गुजरात	गुजराती	2253
9.	हिमाचल प्रदेश	हिंदी	877
10.	जम्मू-कश्मीर	उर्दू	9
11.	झारखंड	हिंदी	795
12.	कर्नाटक	कन्नड	745
13.	केरल	मलयालम	611
14.	मध्य प्रदेश	हिंदी	152
15.	मद्रास	तमिल	892
16.	मणिपुर	मणिपुरी	83
17.	मेघालय	गारो	6
		खासी	5
18.	उड़ीसा	उड़िया	161
19.	पटना	हिंदी	123
20.	पंजाब और हरियाणा	पंजाबी	9365
21.	राजस्थान	हिंदी	616
22.	सिक्किम	नेपाली	3
23.	तेलंगाना	तेलुगु	811
24.	त्रिपुरा	बंगाली	1010
25.	उत्तराखंड	हिंदी	468

****